N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0304 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/12/2024 19:50 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 04/02/2010 **Date To (दिनांक तक):** 21/10/2019

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 11:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/12/2024 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/12/2024 19:50:02 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 104 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** gram panchayat mahrai

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** jabbar khan

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** javru khan

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1978 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	loharo ka baas mohrai, JAITARAN, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	loharo ka baas mohrai, JAITARAN, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	dhrmaram		पिता:gogaram	1. nimaj,ब्यावर,RAJASTHAN, INDIA
2	sayardevi		पत्नी:r devi singh	1. mohrai,ब्यावर,RAJASTHAN, INDIA
3	rekha		पत्नी:devgiri goswami	1. mohrai,ब्यावर,RAJASTHAN, INDIA
4	ramsingh		पिता:biharilal	1. mohrai,JAITARAN,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA
5	babusingh		पिता:fatehsingh	1. mohrai,JAITARAN,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA
6	boduram		पिता:mularam	1. samokhi,JAITARAN,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA
7	pemaram		पिता:lalaram	1. mohrai,JAITARAN,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA

8	ruparam		पिता:hardevram	1. bera dheepdi samokhi,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA
9	suman		पत्नी:nathuram	1. birampuri mohrai,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA
10	tejsingh		पिता:bhanwar singh	1. mohrai,ब्यावर,RAJASTHAN, INDIA
11	prem singh		पिता:ranchod singh	1. mohrai,JAITARAN,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA
12	arjun singh		पिता:gordhan singh	1. mohrai,JAITARAN,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA
13	teekuram		पिता:pancharam	1. dagla,ब्यावर,RAJASTHAN, INDIA
14	sugnai		पत्नी:teekuram	1. daagla,JAITARAN,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 3,00,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, परिवादी श्री जब्बार खां पुत्र श्री जंवरू खां जाति मुसलमान लौहार निवासी लोहारो का बास, गांव मोहराई, पुलिस थाना जैतारण जिला पाली द्वारा जरिये डाक एक लिखित परिवाद ब्यूरो चौकी में इस आशय का प्रेषित किया गया कि "ग्राम सेवक व सरपंच ग्राम पंचायत मोहराई ने मिलीभगत कर ग्राम पंचायत का चैक संख्या 289779 दिनांक 02.08.2017 द्वारा ग्राम सेवक श्री धर्माराम कुमावत के निजी खाता संख्या 51044705375 में दो लाख रूपये जमा किये व ग्राम पंचायत में झुठे बिल बनाये गये, ग्राम विकास अधिकारी ने मिलीभगत कर श्री प्रेमसिंह पुत्र श्री रणछोड़सिंह को पट्टा संख्या 33 दिनांक 21.01.2014 क्षेत्रफल 34000 हजार वर्गफुट, श्री तेजसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह को पट्टा संख्या 30 दिनांक 21.01.2014 क्षेत्रफल 25000 वर्गफुट एवं श्री अर्जुनदेवसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह को पट्टा संख्या 34 दिनांक 21.01.2014 क्षेत्रफल 8738 वर्गफुट नियम विरूद्व दिये। ग्राम सेवक एवं सरपंच ने एक ही दिन में गौचर भुमि खसरा नम्बर 99 में श्री टिकुराम पुत्र श्री पांचाराम गुर्जर को तीन पट्टे क्रमशः 17, 18 , 19 दिनांक 20.12.2016 नियम विरूद्व जारी किये गये इत्यादि परिवाद सहित सत्यापन हेतु प्राप्त हुआ। दौराने सत्यापन परिवाद में वर्णित आरोपो के सम्बंध में तहसीलदार जैतारण के पत्रांक 1515 दिनांक 11.11.2019 द्वारा श्री टीकूराम गुर्जर एवं उसकी पत्नि श्रीमति सुगनाई को ग्राम डागला के खसरा नम्बर 99 किस्म गै.मु. गौचर में जारी किये गये पट्टे संख्या 17, 18, 19 के सम्बंध में श्रीमान जिला कलक्टर पाली के न्यायालय में दर्ज पंचायत निगरानी के क्रम में भू-निरीक्षक निमाज एवं पटवारी मोहराई द्वारा गई की जांच की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां, विकास अधिकारी पंचायत समिति जैतारण के पत्रांक 1021 दिनांक 15.11.2019 द्वारा बादरराम द्वारा टीकूराम एवं सुगनाई के विरूद्व माननीय न्यायालय जिला कलक्टर पाली में दर्ज पंचायत निगरानी संख्या 59/2018, 60/2018 एवं 61/2018 के निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां, श्री किशनसिंह राठौड़ विकास अधिकारी जैतारण द्वारा श्री तेजसिंह, श्री अर्जुनसिंह एवं श्री प्रेमसिंह के विरूद्व श्रीमान जिला कलक्टर पाली के समक्ष दर्ज करवाई गई निगरानी संख्या

30/2017, 31/2017 32/2017 की प्रमाणित प्रतियां एवं तेजसिंह अर्जुनसिंह एवं प्रेमसिंह के पट्टे हेतु काटी गई रसीद कार्यालय तहसीलदार जैतारण का पत्रांक 1550 दिनांक 15.11.2019 मय पटवारी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति, शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक निमाज का पत्र दिनांक 11.11.2019 के संलग्न श्री धर्माराम कुमावत ग्राम विकास अधिकारी मोहराई के खाता संख्या 51044705375 के दिनांक 01.04.2017 से 31.10.2017 तक का प्रमाणित बैंक विवरण, श्रीमान जिला कलक्टर (रेकर्ड) पाली का पत्रांक 152 दिनांक 05.12.2020 के संलग्न पंचायत निगरानी संख्या 59/2018, 60/2018, 61/2018, 2/2017, 13/2017 एवं 14/2017 से सम्बंधित प्रमाणित रिकॉर्ड जिसमें श्री तेजसिंह, प्रेमसिंह, अर्जुनिंसह, टीकूराम एवं श्रीमति सुगनाई को जारी किये गये कुल 6 पट्टो से सम्बंधित पत्रावलियों की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त कर रिकॉर्ड के आधार पर परिवादी श्री जब्बार खां, श्री महेन्द्रसिंह मेहता विकास अधिकारी जैतारण एवं श्री पारसमल पटवारी पटवार मण्डल मोहराई के बयान लेखबद्ध किये गये एवं आरोपी श्री धर्माराम कुमावत ग्राम विकास अधिकारी, श्रीमति सायरदेवी तत्कालिन सरपंच एवं श्रीमति रेखा गोस्वामी तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत मोहराई से स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये। लाभार्थी आरोपी श्री प्रेमिंसह, अर्जुनदेवसिंह एवं तेजसिंह द्वारा स्पष्टीकरण मांगने पर तीनो ने पृथक-पृथक तीन अनुबंध प्रस्तुत किये। परिवाद के सम्पूर्ण सत्यापन से पाया गया कि "श्रीमति सायरदेवी पत्नि श्री आर.देवीसिंह राजपुरोहित वर्ष 2010 से 2015 तक ग्राम पंचायत मोहराई के सरपंच पद पर पदस्थापित रही उक्त अवधि में ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मोहराई के पद पर श्री धर्माराम कुमावत पदस्थापित रहा। उक्त दोनो के कार्यकाल में श्री तेजसिंह , प्रेमसिंहए, श्री अर्जुनसिंह जातिगण राजपुरोहित निवासीगण गांव मोहराई द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत मोहराई को पट्टे बनाने हेतु पड़ौसीयान का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरशुदा आवेदन किये जिसमें इन तीनो ने बताया कि उक्त भुखण्डो पर उनके रहवासी मकान बने हुए है, उक्त तीनो आवेदकों द्वारा किये गये आवेदन प्रार्थना पत्रों पर दिनांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख नही किया। उक्त प्रार्थना पत्रों पर ग्राम मोहराई द्वारा जो मिसले कायम की गई जिसमें श्री रामसिंह वार्डपंच, श्री बोदुराम वार्डपंच एवं श्री बाबुसिंह वार्डपंच को मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त करने का उल्लेख किया गया। परन्तु उपरोक्त तीनो वार्डपचों के द्वारा मौका देख मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश नही की गई। इसके बावजुद पंचायत के द्वारा मिसल में बिना कोई दिनांक अंकित किये झुठी मिसल कार्यवाही लिखी गई जिसमें वार्डपंचो द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने एक माह के एतराज नोटिस जारी करने, कोई एतराज प्राप्त नही होने, प्रार्थीयों द्वारा गवाहो के बयान कराने आदि का उल्लेख किया गया। साथ ही मिसल में यह झुठा उल्लेख किया कि तीनो आवेदको के कब्जाशुदा मकान है जिसमें आवेदक रहते है। उक्त सम्पूर्ण मिसल प्रक्रिया में कंही भी दिनांक का उल्लेख नही किया गया। उपरोक्त तीनो आवेदको के प्रार्थना पत्र पर ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्माराम कुमावत द्वारा पृथक-पृथक नक्शे मौके बनाये गये जिनमें श्री तेजसिंह द्वारा 200x125 यानि 25000 वर्गफुट, प्रेमसिंह द्वारा 200x170 यानि 34000 वर्गफुट एवं अर्जुनसिंह द्वारा 8738 वर्गफुट पर कब्जाशुदा भवन का उल्लेख किया गया। उपरोक्त तीनो ही मिसलो में एक ही दिन दिनांक 17.08.2013 को अंतिम फैसला लिखते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम 157 (ख) के अनुसार 200/- रू. प्राप्त कर प्रार्थीयों को पट्टा देना का निर्णय लिखा गया, जिसपर सरपंच श्रीमति सायरदेवी एवं उक्त पट्टो के निरीक्षण हेतु नियुक्त वार्डपंचो श्री रामसिंह, श्री बाबुसिंह एवं श्री बोदूराम तथा अन्य द्वारा हस्ताक्षर एवं अगुष्ठ निशान किये गये। तत्पश्चात उपरोक्त तीनो ही पट्टो की मिसल आज्ञाओं की सूची में अंतिम फैसला लिपिबद्ध करते हुए में राजस्थान पंचायतीराज नियम 157(ख) के तहत 200/- रू. प्राप्त कर पट्टे जारी करने का निर्णय लिया जाकर नियम विरूद्व तीनो पट्टे जारी किये गये। जबकि राजस्थान पंचायतीराज नियम 157(ख) में स्पष्ट उल्लेख है कि पुराने गृह का कब्जा पुराना पुस्तैनी निर्मित भवन होना पर अधिकतम 300 वर्गगज तक का पट्टा आवेदक को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जा सकता है। उक्त तीनो भुखण्डो में जारी पट्टे नियम विरूद्व जारी किये गये क्योकि उपरोक्त तीनो आवेदको को जारी पट्टे खाली भुखण्डो है वंहा किसी भी प्रकार का निर्माण नही किया गया है साथ ही राजस्थान पंचायतीराज नियम के द्वारा निर्धारित 300 वर्गगज की जगह श्री तेजसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह को पट्टा संख्या 30 दिनांक 21.01.2014 बुक संख्या 207, क्षेत्रफल 25000 वर्गफुट, श्री प्रेमसिंह पुत्र श्री रणछोड़सिंह को पट्टा संख्या 33 दिनांक 21.01.2014 बुक संख्या 207 क्षेत्रफल 34000 वर्गफूट एवं श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री गोरधनिंसह, को पट्टा संख्या 34 दिनांक 24.01.2014, बुक संख्या 207, क्षेत्रफल 8738 वर्गफुट के बहुत बड़े-बड़े क्षेत्रफल के पट्टे जारी किये गये जबकि 200/- रू. राशि प्रति पट्टे शुल्क भी पट्टे जारी करने के बाद दिनांक 24.01.2014 को नियम विरूद्व ली गई। लाभार्थी श्री तेजसिंह, प्रेमिंसह एवं अर्जुनसिंह को जारी पट्टो के सम्बंध में पटवारी मोहराई एवं तहसीलदार जैतारण द्वारा की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 15.11.2019 के अनुसार श्री तेजसिंह, श्री प्रेमसिंह एवं श्री अर्जुनसिंह को जारी पट्टे संख्या क्रमशः 30, 33 एवं 34 बुक संख्या 207 की भूमि ग्राम मोहराई के खसरा नम्बर 831 जिसकी किस्म गैर मुमकिन भाखर है जिसमें दो जगह आबादी हो रखी है जिसके खसरा नम्बर 831/59 एवं 831/61 है जिनका वर्तमान नक्शा (लट्ठा) ट्रेस में तरमीन नही है, इससे स्पष्ट है कि उक्त पट्टे जंहा जारी किये गये वह आबादी भूमि भी है या नही यह भी ग्राम पंचायत मोहराई के समक्ष स्थिति स्पष्ट नही थी। इसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत मोहराई द्वारा नियम विरूद्व पट्टे जारी किये गये। ग्राम पंचायत मोहराई द्वारा जारी उक्त तीनो पट्टा संख्या 30, 33 एवं 34 बुक संख्या 207 के विरूद्ध श्री किशनसिंह राठौड़ तत्कालिन विकास अधिकारी पंचायत समिति जैतारण द्वारा श्री तेजिंसह के विरूद्व पंचायत निगरानी संख्या 12/2017, श्री अर्जुनसिंह के विरूद्व पंचायत निगरानी संख्या 13/2017 एवं श्री प्रेमसिंह के विरूद्व पंचायत

निगरानी संख्या 14/2017 श्रीमान जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट पाली के समक्ष पेश की गई है। इस प्रकार श्रीमति सायरदेवी सरपंच एवं श्री धर्माराम कुमावत ग्राम विकास अधिकारी, श्री रामसिंह वार्डपंच, श्री बोदुराम वार्डपंच एवं श्री बाबुसिंह वार्डपंच द्वारा अपने-अपने पद का दुरूपयोग करते हुए लाभार्थी श्री प्रेमसिंह, श्री तेजसिंह एवं श्री अर्जुनसिंह के साथ मिलीभगत से कुटरचना कर षड़यंत्रपूर्वक नियम विरूद्व पट्टे जारी कर राजकोष को हानि पहुंचाई गई। इसी प्रकार पाया गया कि श्रीमति रेखा गोस्वामी पत्नि श्री देवगिरी वर्ष 2015 से जनवरी 2020 तक ग्राम पंचायत मोहराई के सरपंच पद पर निर्वाचित रही उक्त अवधि में ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मोहराई के पद पर श्री धर्माराम कुमावत पदस्थापित रहा। उक्त दोनो के कार्यकाल में श्री टीकूराम पुत्र श्री पांचाराम गुर्जर निवासी दागला को पट्टा संख्या 17 दिनांक 30.06.2017 क्षेत्रफल 2375 वर्गफुट एवं पट्टा संख्या 19 दिनांक 30.06.2017 क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट एवं श्री टीकूराम की पत्नि श्रीमति सुगनाई को पट्टा संख्या 18 दिनांक 30.06.2017 क्षेत्रफल 2625 वर्गफुट जारी किये गये। सत्यापन के दौरान श्री टीकूराम को जारी पट्टा संख्या 17 एवं 19 एवं श्री टीकूराम की पत्नि श्रीमति सुगनाई को जारी पट्टा संख्या 18 की पत्रावली प्राप्त कर तहसीलदार जैतारण के पत्रांक 1550 दिनांक 15.11.2019 से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिससे पाया गया कि श्री टीकूराम एवं उसकी पत्नि श्रीमति सुगनाईदेवी को जारी किये गये उपरोक्त तीनो पट्टे ग्राम दागला के खसरा नम्बर 99 रकबा 78.04 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि में जारी किये गये। उक्त तीनो पट्टे एक ही दिनांक 30.06.2017 को एक ही परिवार के सदस्य टीकूराम एवं उसकी पत्नि सुगनाई को राजस्थान पंचायतीराज नियम 157(ख) के तहत 200/- रू. शुल्क प्राप्त कर नियम विरूद्व गोचर भूमि में जारी किये गये। उपरोक्त पट्टो में आवेदको द्वारा कब्जा शुदा नोहरा हेतु आवेदन पत्र में दर्शाते हुए आवेदन किया गया जबकि शपथ पत्र में मकान बना होना बताना, उपरोक्त पट्टो के क्षेत्र का निरीक्षण करने हेतु वार्डपंच श्री पेमाराम, श्री रूपाराम एवं सुमन को नियुक्त किया गया, उक्त तीन वार्डपंचो के द्वारा ही सभी तीनो पट्टो में निरीक्षण करना मिसल में इन्द्राज किया गया जबकि तीनो पट्टो से सम्बंधित आबादी भुमि के निरीक्षण का प्रपत्र में पंचान द्वारा हस्ताक्षर नही किये गये, और अंतिम फैसल में उक्त निरीक्षण हेतु नियुक्त वार्डपंचो द्वारा हस्ताक्षर कर पट्टे जारी करने की नियम विरूद्व प्रक्रिया की गई। उक्त तीनो पट्टो के विरूद्व निगरानी याचिका संख्या 59/2018, 60/2018 एवं 61/2018 बादरराम पुत्र श्री मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी दागला द्वारा जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट पाली के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसपर निर्णय करते हुए जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट पाली ने दिनांक 30.06.2017 को टीकूराम व उसकी पत्नि को जारी उक्त तीनो पट्टा संख्या 17, 18 एवं 19 को अपास्त कर दिया गया। इस प्रकार श्रीमति रेखा गोस्वामी सरपंच एवं श्री धर्माराम कुमावत ग्राम विकास अधिकारी, श्री पेमाराम वार्डपंच, श्री रूपाराम वार्डपंच एवं सुमन वार्डपंच द्वारा अपने-अपने पद का दुरूपयोग करते हुए लाभार्थी श्री टीकूराम एवं श्री टीकूराम की पत्नि श्रीमति सुगनाई के साथ मिलीभगत से कुटरचना कर षड़यंत्रपूर्वक नियम विरूद्व पट्टे जारी किये गये। सम्पूर्ण सत्यापन से पाया गया कि श्रीमति सायरदेवी सरपंच एवं श्री धर्माराम ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपने-अपने पद का दुरूपयोग करते हुए लाभार्थियो के साथ मिलीभगत करते हुए षड़यंत्र रचकर कुटरचित दस्तावेज तैयार कर लाभार्थी श्री तेजसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह को बिना पुराने गृह का कब्जा के खाली भुखण्ड पर पट्टा संख्या 30 दिनांक 21.01.2014 बुक संख्या 207, क्षेत्रफल 25000 वर्गफुट राजस्थान पंचायतीराज नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया एवं श्री प्रेमसिंह पुत्र श्री रणछोड़सिंह को बिना पुराने गृह का कब्जा के खाली भुखण्ड पर पट्टा संख्या 33 दिनांक 21.01.2014 बुक संख्या 207 क्षेत्रफल 34000 वर्गफूट राजस्थान पंचायतीराज नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया एवं श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री गोरधनिंसह बिना पुराने गृह का कब्जा के खाली भुखण्ड पर पट्टा संख्या 34 दिनांक 24.01.2014, बुक संख्या 207, क्षेत्रफल 8738 वर्गफुट राजस्थान पंचायतीराज नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया एवं उपरोक्त तीनो ही पट्टो में श्री रामसिंह, श्री बाबुसिंह एवं श्री बोदुराम वार्डपंच जो मौका निरीक्षण कमेठी के सदस्य थे जिनके द्वारा अंतिम फैसला के प्रस्ताव में हस्ताक्षर कर नियम विरूद्व पट्टे जारी किये गये। इसी प्रकार सरपंच श्रीमति रेखा गोस्वामी एवं श्री धर्माराम कुमावत ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मोहराई द्वारा अपने-अपने पद का दुरूपयोग कर लाभार्थी से मिलीभगत कर षड़यंत्र रचकर कुटरचना कर गैर मुमकिन गोचर भुमि में पंचायतीराज नियम 157 (ख) के तहत लाभार्थी श्री टीकूराम पुत्र श्री पांचाराम गुर्जर निवासी दागला को पट्टा संख्या 17 दिनांक 30.06.2017 क्षेत्रफल 2375 वर्गफुट एवं पट्टा संख्या 19 दिनांक 30.06.2017 क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट एवं श्री टीकूराम की पत्नि श्रीमति सुगनाई को पट्टा संख्या 18 दिनांक 30.06.2017 क्षेत्रफल 2625 वर्गफुट जारी किये गये एवं वार्डपंच श्री पेमाराम, श्री रूपाराम एवं सुमन निरीक्षण कमेठी के सदस्य रहते हुए अंतिम फैसला प्रस्ताव पारित कर नियम विरूद्व पट्टे जारी किये गये। इस प्रकार (1) श्री धर्माराम (2) श्रीमति सायरदेवी (3) श्रीमति रेखा तत्कालिन सरपंच, एवं वार्डपंचान (4) श्री रामसिंह (05) श्री बाबुसिंह (06) श्री बोदुराम (07) श्री पेमाराम (08) श्री रूपाराम (09) सुमन तथा लाभार्थीगण (10) श्री तेजसिंह (11) श्री प्रेमसिंह (12) श्री अर्जुनसिंह निवासीगण मोहराई, (13) श्री टीकूराम (14) श्रीमति सुगनाई निवासीगण दागला का उक्त कृत्य प्रथम द्रष्टिया धारा 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं 120बी भादस का कारित किया जाना पाया जाता है। अतः आरोपीगण (1) श्री धर्माराम पुत्र श्री गोगाराम कुमावत ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मोहराई, (2) श्रीमति सायरदेवी पत्नि श्री आर.देवीसिंह तत्कालिन सरपंच (3) श्रीमति रेखा पत्नि श्री देवगिरी गोस्वामी तत्कालिन सरपंच, वार्डपंचान (4) श्री रामसिंह तत्कालिन वार्डपंच (05) श्री बाबुसिंह तत्कालिन वार्डपंच (06) श्री बोदुराम तत्कालिन वार्डपंच

(07) श्री पेमाराम तत्कालिन वार्डपंच (08) श्री रूपाराम तत्कालिन वार्डपंच (09) सुमन तत्कालिन वार्डपंच ग्राम पंचायत मोहराई तथा लाभार्थीगण (10) श्री तेजसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह, (11) श्री प्रेमसिंह पुत्र श्री रणछोड़सिंह, (12) श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री गोरधनिंसंह, निवासीगण मोहराई, (13) श्री टीकूराम पुत्र श्री पांचाराम गुर्जर (14) श्रीमति सुगनाई पत्नि श्री टीकूराम निवासीगण दागला के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)डी, 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं 120बी भादस में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित हैं। भवदीय (धर्मेन्द्र डूकिया) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-प्रथम ....कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री धर्मेन्द्र डूकिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली -प्रथम ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 धारायें 13(1)(डी), 13(2) एवं 120बी भादस में आरोपीगण 1. श्री धर्माराम पुत्र श्री गोगाराम कुमावत जाति कुमावत उम्र 57 साल निवासी निमाज तहसील जैतारण जिला ब्यावर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मोहराई। 2. श्रीमति सायरदेवी पत्नि श्री आर.देवीसिंह उम्र 63 साल जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम मोहराई तहसील जैतारण जिला ब्यावर तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत मोहराई। 3. श्रीमति रेखा पत्नि श्री देवगिरी गोस्वामी उम्र 39 साल जाति गोस्वामी निवासी ग्राम मोहराई तहसील जैतारण जिला ब्यावर तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत मोहराई। 4. श्री रामसिंह पुत्र बिहारीलाल जाति उम्र 52 साल जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम मोहराई तहसील जैतारण जिला ब्यावर तत्कालिन तत्कालीन वार्डपंच ग्राम पंचायत मोहराई। 5. श्री बाबुसिंह पुत्र फतेहसिंह उम्र 60 साल जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम मोहराई तहसील जैतारण जिला ब्यावर तत्कालीन वार्डपंच ग्राम पंचायत मोहराई। 6. श्री बोदुराम पुत्र मूलाराम उम्र 58 साल जाति सैन निवासी ग्राम समोखी तहसील जैतारण जिला ब्यावर तत्कालीन वार्डपंच ग्राम पंचायत मोहराई। 7. श्री पेमाराम पुत्र लालाराम उम्र 63 साल जाति बावरी निवासी ग्राम मोहराई तहसील जैतारण जिला ब्यावर तत्कालिन तत्कालीन वार्डपंच ग्राम पंचायत मोहराई। 8. श्री रूपाराम पुत्र हरदेवराम उम्र 45 साल जाति बावरी निवासी बेरा ढीपडी समोखी तहसील जैतारण जिला ब्यावर तत्कालिन वार्डपंच ग्राम पंचायत मोहराई। 9.. श्रीमती सुमन पत्नी श्री नाथूराम उम्र 38 साल जाति मेघवाल निवासी बिरामपुरी मोहराई तहसील जैतारण जिला ब्यावर तत्कालिन वार्डपंच ग्राम पंचायत मोहराई। 10. श्री तेजसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह उम्र 45 साल जाति राजपुरोहित निवासी मोहराई तहसील जैतारण जिला ब्यावर। 11. श्री प्रेमसिंह पुत्र श्री रणछोड़सिंह, उम्र 46 साल जाति राजपुरोहित निवासी मोहराई तहसील जैतारण जिला ब्यावर। 12. श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री गोरधनिंसंह, उम्र 65 साल जाति राजपुरोहित निवासी मोहराई तहसील जैतारण जिला ब्यावर। 13. श्री टीकूराम पुत्र श्री पांचाराम गुर्जर उम्र 53 साल जाति गुर्जर निवासी दागला तहसील जैतारण जिला पाली। 14. श्रीमति सुगनाई पत्नि श्री टीकूराम उम्र 50 साल ग्राम दागला तहसील जैतारण जिला पाली। के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री खींव सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली द्वितीय को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 283 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1682-87 दिनांक 21-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली। 2-मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली। 3-आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान जयपुर 4-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली -प्रथम 6- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो परिवाद जयपुर (313/2019)। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** khinw SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]2/2024 [illegible]4

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1967				
2	Female	1961				
3	Female	1985				
4	Male	1972				
5	Male	1964				
6	Male	1966				
7	Male	1961				
8	Male	1979				
9	Female	1986				
10	Male	1979				
11	Male	1978				
12	Male	1959				
13	Male	1971				
14	Female	1974				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)